जनपद - संतकबीरनगर प्रेस विज्ञप्ति दिनॉक 11.09.2023

आज दिनांक 11.09.2023 को अपर पुलिस महानिदेशक गोरखपुर जोन, गोरखपुर ***श्री अखिल कुमार*** पुलिस महानिरीक्षक बस्ती परिक्षेत्र, बस्ती ***श्री आर0के0 भारद्वाज*** के निर्देशन, पुलिस अधीक्षक जनपद संतकबीरनगर ***श्री सत्यजीत गुप्ता*** के मार्गदर्शन में जनपद में अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में संतकबीरनगर पुलिस द्वारा किये गये सराहनीय कार्य–

थाना दुधारा पुलिस द्वारा नाबालिग को बहला फुसलाकर भगा ले जाने व दुष्कर्म के मामले मे वाँछित अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार*

जनपद में ***मिशन शक्ति अभियान*** के अन्तर्गत महिलाओं पर अपराधों के रोकथाम हेतु पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर ***श्री सत्यजीत गुप्ता*** द्वारा चलाए जा रहे अभियान के अंतर्गत क्षेत्राधिकारी खलीलाबाद ***श्रीमती दीपांशी राठौर*** के निकट पर्यवेक्षण में प्रभारी निरीक्षक दुधारा ***श्री राकेश कुमार मिश्र*** के नेतृत्व में गठित टीम द्वारा मु0अ0सं0 310/2023 धारा 323/363/366/376/120(बी) भा0द0वि0 व 5 / 6 पाक्सो एक्ट के मामले मे वांछित अभियुक्त नाम पता विकास पुत्र मुन्ना निवासी इनवल थाना मेहनगर जनपद आजमगढ़ को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय रवाना किया गया।

विदित हो कि उक्त अभियुक्त द्वारा वादिनी को बहला फुसलाकर भगा ले गया था तथा दुष्कर्म की घटना कारित की गई थी, जिसके संबंध मे वादिनी द्वारा थाना स्थानीय पर दिनांक 12.08.2023 को अभियोग पंजीकृत कराया गया था। थाना दुधारा पुलिस द्वारा महिला अपराध की संवेदनशीलता को देखते हुए त्वरित कार्यवाही कर उक्त आरोपी अभियुक्त को आज दिनांक 11.09.2023 को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय रवाना किया गया।

गिरफ्तार करने वाले पुलिस बल का विवरण- व0उ0नि0 थाना दुधारा श्री चन्द्रप्रकाश सिंह, हे0का0 अरविन्द यादव, का0 रितेश यादव।

थाना मेंहदावल पुलिस द्वारा दहेज मृत्यु कारित करने के मामलें में वांछित अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार

पुलिस अधीक्षक जनपद संतकबीरनगर **श्री सत्यजीत गुप्ता** के निर्दशन व क्षेत्राधिकारी मेंहदावल **श्री अम्बरीष सिंह भदौरिया के** पर्यवेक्षण प्रभारी निरीक्षक थाना मेंहदावल **श्री विजय कुमार दूबे** में नेतृत्व में में गठित टीम द्वारा मु0अ0सं0 355 / 2023 धारा 498A / 304B भादवि व 3 / 4 डीपी एक्ट मे वांछित अभियुक्त सुन्नर केवट पुत्र स्व0 सुबरन केवट निवासी विसौवा टोला भटवा थाना मेंहदावल जनपद संतकबीरनगर को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय रवाना किया गया।

संक्षिप्त विवरणः- दिनांक 22.08.2023 को वादी द्वारा थाना स्थानीय पर तहरीर दिया गया कि उसकी पुत्री का विवाह 03 वर्ष पूर्व अभियुक्त के पुत्र बाल किशुन पुत्र सुन्नर के साथ हुआ था। जिसे पूर्व में दिनांक 26.08.2023 को जेल भेजा जा चुका है। उक्त अभियुक्त व उसके परिजनों द्वारा दहेज के कारण उसके पुत्री के साथ मारपीट की घटना की जाती थी व दिनांक 16.08.2023 को दहेज के कारण वादी की पुत्री की हत्या कर दिया गया। इस संबंध में थाना मेहादवल पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया था। महिला संबंधी अपराध के दृष्टिगत थाना मेहदावल पुलिस द्वारा गंभीरता से लेते हुए उक्त अभियुक्त की गिरफ्तारी हेतु टीमें लगायी गयी थी, आज दिनांक 11.09.2023 को थाना मेहदावल पुलिस द्वारा उक्त अभियुक्त को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय रवाना किया गया।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस बल का विवरणः- उ0नि0 श्री प्रमोद कुमार नायक, का0 अंशुमान द्विवेदी, का0 अरुण यादव, का0 उत्तम मद्धेशिया।

फरार चल रहे वारंटी अभियुक्तों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के तहत 05 नफर वारण्टी अभियुक्त गिरफ्तार

पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर ***श्री सत्यजीत गुप्ता*** के निर्देशन में जनपद में वांछितों व न्यायालय में हाजिर न होने वाले अभियुक्तों के खिलाफ जारी गैर जमानतीय वारण्ट के तहत फरार चल रहे अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के तहत 05 नफर वारण्टी अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है। विवरण निम्नवत हैः-

थाना धनघटा पुलिस द्वारा 02 नफर वारण्टी अभियुक्त नाम पता 1- रामललित पुत्र गनपत 2. रामसूचित पुत्र गनपत निवासीगण कुरमौल थाना धनघटाजनपद संतकबीरनगर को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय रवाना किया गया।

गिरफ्तार करने वाले पुलिस बल का विवरणः- उ0नि0 श्री गामा यादव, का0 जितेश कुमार।

थाना मेहदावल पुलिस द्वारा 03 नफर वारण्टी अभियुक्त नाम पता 1- समसुद्दीन पुत्र सफी मुहम्मद निवासी उत्तरपट्टी थाना मेहदावल, 2- दुर्गेश उर्फ वोदे पुत्र कुतुरु निवासी केवटलिया अव्वल थाना मेहदावल, 3- जवाहिर केवट पुत्र टीमल केवट साकिन औरही थाना मेहदावल जनपद संतकबीरनगर को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय रवाना किया गया।

गिरफ्तार करने वाले पुलिस बल का विवरणः- म0उ0नि0 श्रीमती गौरी शुक्ला, उ0नि0 श्री ब्रजेश सिंह, हे0का0 विजय सिंह, हे0का0 सुभान अली, का0 धर्मेन्द्र कुमार यादव।

पीआरवी आफ द डे

***पीआरवी 1492 द्वारा दो पक्षों के विवाद को कराया गया शांत व विवाद मे घायल महिला को भेजवाया गया अस्पताल*–**
पीआरवी 1492 को थाना धनघटा क्षेत्रान्तर्गत तेजपुर से इवेन्ट संख्या 13057 से कालर द्वारा किसी बात को लेकर दो पक्षों में विवाद / मारपीट होने से 01 महिला घायल होने के सम्बन्ध में सूचना दिया, सूचना मिलते ही पीआरवी कर्मियों द्वारा घटनास्थल पर समय से पहुँचकर विवाद को शांत कराकर घटना में घायल महिला को जरिए एंबुलेंश से अस्पताल भेजवाया गया तथा घटना के संबंध में थाना धनघटा को अवगत कराया गया । पीआरवी कर्मियों की सतर्कता एवं सूझबूझ से घटनास्थल पर समय से पहुँचकर विवाद को शांत कराकर विवाद में घायल महिला को अस्पताल भेजवाकर उसकी जान बचाई गयी, जिसकी स्थानीय व्यक्तियों द्वारा सराहना की गई।

पीआरवी स्टाफ – उ0नि0 श्री अखिलेश सिंह, आ0 अभय कुमार, हो0चा0 रामवीर चौधरी।

शान्ति भंग (151/107/116 सीआरपीसी) में 05 अभियुक्त गिरफ्तार

- **थाना बेलहरकला पुलिस द्वारा** 151 / 107 / 116 सीआरपीसी मे 02 अभियुक्त गिरफ्तार किया गया।
- **थाना बेलहरकला पुलिस द्वारा** 151 / 107 / 116 सीआरपीसी मे 03 अभियुक्त गिरफ्तार किया गया।

मोटर वाहन अधिनियम के अन्तर्गत 42 वाहनों से 43,000 रु0 सम्मन शुल्क का चालान किया गया

आज दिनांक 11.09.2023 को जनपद संतकबीरनगर के सभी थाना क्षेत्रो मे बैंक / वाहन / संदिग्ध व्यक्तियो की चेकिंग के दौरान समस्त प्रभारी निरीक्षक / थानाध्यक्ष / प्रभारी यातायात द्वारा मोटर वाहन अधिनियम के अन्तर्गत कड़ी कार्यवाही करते हुए 42 वाहनों से 43,000 रु0 सम्मन शुल्क का चालान किया।